नम्बर व तारीख
अहकाम जो हुक्म
तामील में जारी हुए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्री भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्याः– 67/2020

निर्णय दिनांक :– 12.08.2021

उनवानी प्रार्थना पत्र :

1. चांदमल पुत्र दुर्गालाल जाति खटीक आयु 30 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. कान्ता पुत्री दुर्गालाल जाति खटीक आयु 55 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
3. गणेशलाल पुत्र दुर्गालाल जाति खटीक आयु 27 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
4. टीकमचन्द पुत्र दुर्गालाल जाति खटीक आयु 32 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
5. बंशीलाल पुत्र छोटू जाति खटीक आयु 54 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
6. सूरजमल पुत्र छोटू जाति खटीक आयु 52 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. तहसीलदार जी देवली जिला टोंक राजस्थान।
2. रामनिवास पुत्र देवीलाल जाति खटीक आयु 45 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
3. धर्मचन्द पुत्र जस्सा पुत्र स्व. रूगनाथ जाति गुर्जर आयु 47 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
4. रामधन दत्तक पुत्र स्व. मांगीलाल जाति गुर्जर आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
5. भेरू पुत्र स्व. सुगनचन्द जाति गुर्जर आयु 46 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
6. श्योजी पुत्र स्व. सुगनचन्द जाति गुर्जर आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
7. गोपाल पुत्र स्व. सुगनचन्द जाति गुर्जर आयु 35 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
8. सीता पुत्री स्व. सुगनचन्द जाति गुर्जर आयु 40 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
9. सन्तरा पुत्री स्व. सुगनचन्द जाति गुर्जर आयु 36 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।
10. काली पत्नी स्व. सुगनचन्द जाति गुर्जर आयु 46 वर्ष निवासी ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान।

– प्रतिपक्षीगण –

उपस्थिति :–
श्री बन्शी लाल कलवार
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरूद्ध अप्रार्थीगण
संख्या 2 ता 8

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए राजस्थान अधिकृत अधिनियत 1955</u>

प्रार्थीगण खातेदारी व कब्जे–काश्त की आराजीयात हाल ख0नं0 103 रकबा 0.99 है0 व खसरा नम्बर 104 रकबा 0.36 है0 ख. नं. 73/2248 रकबा 1.00 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.35 है0 भूमि वाके ग्राम डाबरकला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी की आराजीयात भूमि आराजी ख0नं0 103 रकबा 0.99 है0 व खसरा नम्बर 104 रकबा 0.36 है0 वाके ग्राम डाबरकला में स्थित भूमि में जाने के लिये शीट में वर्णित आम रास्ता ख. नं. 118 में से होकर खसरा नम्बर 91 की पूर्व दिशा में कदीमी रास्ता 15 फीट चौड़ा X 30 फीट लम्बे रास्ते से होकर सिवायचक भूमि ख. नं. 91 की पूर्वी की दिशा में बने हुये कदीमी रास्ते 10 फीट चौड़ा व X 25 फीट लम्बे रास्ते से होकर सिवायचक भूमि ख. नं. 98 की पूर्व ओर उतर से दक्षिण बने हुए रास्ते 20 फीट चौड़ा व 200 फीट लम्बे रास्ते से होकर अपनी खातेदारी भूमि ख0नं0 104 रकबा 0.36 है0 व खसरा नम्बर 103 रकबा 0.99 है0 में आते जाते है, तथा फसल बौने– जोतने व ट्रेक्टर–ट्रोली से कृषि उपज को लाने–जाने में उपयोग उपभोग कर रहे है। उक्त रास्ते के अलावा प्रार्थीगण के पास कोई अल्टरनेट रास्ता भी नहीं है। प्रार्थीगण को अपने खातेदारी की भूमि में आने जाने के लिये एक मात्र सिवायचक भूमि ख. नं. 98 की पूर्वी ओर उत्तर से दक्षिण बने हुए रास्ते 20 फीट चौड़ा व 200 फीट लम्बे रास्ते से होकर है। उक्त रास्ते का अंकन नक्शा ट्रेस में नहीं होने के कारण सिवायचक भूमि में बने हुये रास्ते को प्रभावी व्यक्तियो द्वारा अतिक्रमण कर बन्द कर दिया जाता है, जिससे प्रार्थीगण को अपनी खातेदारी की भूमि में फसल काश्त करने के लिये कृषि यन्त्र लाने जाने में फसल बौने–जोतने में काफी कठिनाईयों को सामना करना पड़ता है, वर्तमान में उक्त भूमि में किसी भी प्रकार का कोई सरकारी भवन नहीं है और ना ही किसी अन्य संस्थान को आवंटन किया, इसलिए सिवायचक भूमि से अपने भूमि में जताने के लिये रास्ता चाहने हेतु यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

,प्रार्थीगण की तलबी जारी की गई। अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 10 असालतन/वकालतन नियत तारीख पेशीयों में उपस्थित नहीं होने के कारण संख्या 2 ता 10 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई।

तहसीलदार देवली ने उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में जवाब/विस्तृत मौका रिपोर्ट पेश की जो इस प्रकार है:– प्रार्थी को स्वयं की आराजी पर पहुंचने के

ए अन्य कोई रास्ता नही है। प्रार्थी को अपनी खातेदारी भूमि में जाने के लिए रास्ते की अत्यन्त आवश्यकता है। प्रार्थीगण के रास्ते की चौड़ाई 4 मीटर है, खसरा नं0 91 में 2 मीटर चौड़ाई x लम्बाई 60 वर्ग मीटर कुल 120 वर्गमीटर बनती है। ख. नं. 92 में माननीय न्यायालय मिसल संख्या 68/2020 से 10 फीट चौड़ाई का रास्ता स्वीकृत है। ख. नं. 97 में 2 मीटर चौड़ाई x 33 लम्बाई कुल 66 वर्ग मीटर बनती है व ख. नं. 98 जिसकी 4 मीटर चौड़ाई x लम्बाई 153 = 612 बनती है। कुल क्षेत्रफल 798 बनता है जिसकी एक गुना राशि 35566.03 रूपये बनती है, दुगनी राशि 65132.06 रूपये होगी। प्रार्थी के रास्ता वाली कृषि भूमि की डीएलसी दर 408096/– रूपये प्रति है0 है। आवेदक की भूमि स्वयं की खातेदारी भूमि दर्ज रिकॉर्ड है। ख. नं. 103 व 104 जमाबन्दी नकल संलग्न है। प्रार्थी ख. नं. 91, 92, 97, 98 में से रास्ता चाहता है जिसको लाल स्याही से प्रस्तावित किया हुआ है। प्रस्तावित रास्ते के मध्य ख. नं. 98/0.39 सिवायचक भूमि पर देशी बम्बुल के दो पेड़ आते है जिनकी कीमत 3000/– रूपये होगी। खसरा नं. 91 का अप्रार्थी 7 फीट चौड़ा रास्ता देने के लिए सहमत है। ख. नं. 97 का रास्ता देने के लिये अप्रार्थी सहमत नहीं है। ख. नं. 98 सिवायचक भूमि है। प्रस्तावित रास्ता अब्दुल रहमान से प्रभावित नहीं है। नकल जमाबंदी, नक्शा ट्रेस लाल स्याही से चिन्हित, डीएलसी की छाया प्रति व मौका रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र अनुसार व तहसीलदार दूनी की रिपोर्ट अनुसार रास्ते की तरमीम हेतु प्रार्थना की और कथन किया कि इसके लिए प्रार्थीगण तहसीलदार की रिपोर्ट अनुसार अथवा हाल डी.एल.सी की दुगनी राशि जमा करवाने हेतु तैयार है। प्रार्थीगण को आवश्यकता आत्यन्तिक है और अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं होने से प्रार्थीगण की आराजी पड़त रह जायेगी जिससे प्रार्थीगण व प्रार्थीगण के परिवार को काफी नुकसान होगा। अतः माननीय न्यायालय से प्रार्थना है कि तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार रास्ते की तरमीम हेतु आदेश प्रदान करे।

पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया। प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र व अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस व तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार जमाबन्दी सम्वत 2071–74 के खाता संख्या 1481 ख0नं0 103 रकबा 0.99 है0 व ख. नं. 104 रकबा 0.36 है0 प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे काश्त की भूमि है जिसमें जाने के लिए प्रार्थीगण के लिए कोई रास्ता नहीं है। इस

बाबत अप्रार्थीगण संख्या 2 ता 8 नियत तारीख पेशीयों में असालतन/वकालतन अनुपस्थित रहने से अप्रार्थीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थीगण की आराजी में जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है और प्रार्थीगण की आवश्यकता आत्यंन्तिक है और रास्ते में अन्य कोई संरचना दीवार, पेड़ इत्यादि नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण को काश्त करने हेतु अपनी आराजी में आने जाने हेतु रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है। तहसीलदार रिपोर्ट अनुसार ख. नं. 92 में से अन्य प्रकरण में 10 फीट रास्ता स्वीकृत हो रखा है। अतः तहसीलदार देवली को आदेश दिया जाता है कि रिपोर्ट व नक्शा ट्रेस अनुसार खसरा नम्बर 91 रकबा 0.29 है0 में चौड़ाई 2 मीटर एवं लम्बाई 60 मीटर अर्थात 120 वर्गमीटर, खसरा नम्बर 97 में चौड़ाई 2 मीटर एवं लम्बाई 33 मीटर अर्थात 66 वर्गमीटर व खसरा नम्बर 98 रकबा 0.39 है0 में चौड़ाई 4 मीटर एवं लम्बाई 153 मीटर अर्थात 612 वर्गमीटर कुल क्षैत्रफल 798 वर्ग मीटर जिसकी डीएलसी दर 408096/— प्रति हैक्टेयर है, जिसके अनुसार 798 वर्गमीटर की डीएलसी की दुगनी प्रतिकर राशि 65132/—रूपये अथवा वर्तमान डी.एल.सी की दुगनी प्रतिकर राशि जमा करे तथा देशी बबूल के दोनो पेडों से आवागमन में यथासंभव बाधा नहीं हो तो इनको यथास्थित रखा जावे और इनको हटाना अति आवश्यक हो तो सम्बन्धित विभाग के सक्षम अधिकारी से इनकी कीमत सुनिश्चित करवाकर प्रार्थीगण से जमा करवावे। जमा करवाकर उक्तानुसार रास्ते को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद कर मौके पर आप द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम करे। तत्पश्चात यह राशि सम्बन्धित खातेदार अप्रार्थीगण को उनके हिस्सानुसार राशि प्रदान करे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली